क्रमांक–3324060/विविध/पार्ट–2/ 5।5
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,तुलसी नगर
भोपाल

भोपाल, दिनांक– 1 /3 /2014

//आदेश //

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक–सी–3–7 /2000/3/01, भोपाल दिनांक–22.01.2007 एवं संशोधित परिपत्र क्रमांक–सी–3– 4/1/3/06, भोपाल, दिनांक–18.08.2008 एवं परिपत्र दिनांक–13 फरवरी 2011 में निहित प्रावधान तथा दिशा–निर्देश के परिपालन में विभागीय चयन समिति द्वारा चयनित निम्नानुसार दिवंगत शासकीय सेवकों के परिवार के सदस्य को चतुर्थ श्रेणी भृत्य के पद पर अनुकंपा नियुक्ति मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत वेतनमान वेतन बैण्ड+ग्रेड पे ` 4440–7440+1300 (पांचवे वेतनमान में ` 2550–3200) तथा शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत मॅहगाई भत्ते पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई रूप से निम्नानुसार प्रदान की जाकर उनके नाम के समक्ष दर्शाये कार्यालय के अधीन पदस्थ किया जाता है :–

स. क्र.	आई.डी. क्रमांक	दिवंगत शासकीय सेवक का नाम एवं अंतिम कार्यालय	मृत्यु दिनांक	आवेदक/आवेदिका का नाम/ पता	जन्मतिथि /जाति	पदस्थापना कार्यालय
1	1001	स्व. श्री पन्नालाल ताबियार सहायक वर्ग–3, माही. परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद	10.10.06	श्री मनीष ताबियार ग्राम बड़वेली, तह. सरदारपुर जिला धार	22.09.87 अनुसूचित जन जाति	कार्यपालन यंत्री माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद
2	0903	स्व.श्री बिन्दा सहारिया, दफ्तरी अधीक्षण यंत्री, राजघाट नहर मंडल, दतिया	26.5.2009	श्री कमलेशसहारिया, ग्राम गोविंदपुर पो.–मुरैरा जिला–दतिया	10.12.86 अ.ज.जा.	अधीक्षण यंत्री, राजघाट नहर मंडल, दतिया
3	0904	स्व.श्री सुशील कुमार ठाकुर, भृत्य, राजघाट डिस्ट्रीब्यूटरी संभाग क.–9, दतिया	20.4.2009	कु.हर्षान्जली ठाकुर राजघाट कालोनी दतिया	30.3.94 सामान्य	कार्यपालन यंत्री राजघाट डिस्ट्रीब्यूटरी संभाग क.–9, दतिया
4	1208	स्व.श्री रामवीर कुशवाह भृत्य, जल संसाधन संभाग, भिंड	28.6.2012	श्री संदीप सिंह कुशवाह आई–2, चंबल कालोनी, इटावा रोड, भिंड	7.6.93 सामान्य	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, भिंड
5	1212	स्व.श्री सूरजदीन कौल, भृत्य, पुरवा नहर संभाग क0–2, सतना	26.7.2012	श्री रामस्वरूप कौल, ग्राम–शारदा पुरी पतेरी वार्ड क0–01 पोस्ट–कोठी जिला–सतना	25.10.75 अ.ज.जा.	कार्यपालन यंत्री पुरवा नहर संभाग क0–2, सतना

6	1304	स्व.श्री डी.पी.दीक्षित सहायक वर्ग–3, जल संसाधन संभाग,विदिशा	25.3.2013	श्री अभिषेक दीक्षित बांके बिहारी मंदिर के पीछे, गंजबासौदा	17.8.92 सामान्य	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग,विदिशा
7	1306	स्व.श्री जे.पी.रायकवार, सहायक वर्ग–2, राजघाट डिस्ट्रीब्यूटरी संभाग क0–9, दतिया	4.5.2013	श्री जितेन्द्र रायकवार, काजीपाठा वार्ड क0–10, भाण्डेर जिला दतिया	16.6.89 अ.पि.व.	कार्यपालन यंत्री राजघाट डिस्ट्रीब्यूटरी संभाग क0–9, दतिया

1– मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार संबंधित को किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन भत्ते देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी ।

2– अभ्यार्थी द्वारा एक माह की पूर्व सूचना दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन अथवा भत्ते शासकीय कोष में जमा कराये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर एक माह का वेतन एवं भत्ते उनके भू–राजस्व की बकाया राशि की भांति वसूली योग्य होगी ।

3– कार्यग्रहण करने के पूर्व से अभ्यार्थी को भृत्य के पद हेतु निम्न अभिलेखों की मूल प्रति कार्यालय प्रमुख के सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसकी कार्यग्रहण सूचना मान्य नहीं की जावेगी । शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र एवं मध्यप्रदेश मूल निवासी प्रमाण पत्र का सत्यापन संबंधित जारीकर्ता अधिकारी व्दारा व्यक्तिगत रूप से कराया जावे ।

(अ) शैक्षणिक योग्या प्रमाण पत्र
(ब) जाति प्रमाण पत्र
(स) मध्यप्रदेश के मूलनिवासी प्रमाण पत्र

4– इस आदेश के प्राप्ति दिनांक से एक माह की समयावधि में पदस्थीकरण स्थान पर कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा ।

5– अभ्यार्थी को पदस्थ कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

6– कर्मचारी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय के अर्द्धशासकीय पत्र क0–एफ–9 /3/2003/नियम/4, भोपाल दिनांक–02.07.2005 में निहित प्रावधान के अनुसार पेंशन की पात्रता अंशदान पेंशन के रूप में प्राप्त होगी ।

7– आवेदक से कार्यग्रहण के पूर्व इस आशय का वचन–पत्र लिया जाना आवश्यक होगा कि वह दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण पोषण करेगा तथा बाद में किसी भी समय यदि वह प्रमाणित हो जाय कि उसके द्वारा परिवार के सदस्यों का अनदेखा किया जा रहा है अथवा उनका सही ढंग से भरण पोषण नहीं किया जा रहा है, तो उसकी नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी । (दिवंगत शासकीय सेवक की पत्नी को छोड़कर) ।

8– भविष्य में कभी भी यह पाया जाता है कि नियुक्ति प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत किये गये अभिलेख असत्य हैं या अपात्र हैं तो कारण बताओ सूचना देकर प्राप्त उत्तर के आधार पर आवश्यक होने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी ।

9– शासन के नियमानुसार इन अनुकंपा नियुक्तियों में शासन के नवीन रोस्टर का पालन किया गया ।

10– मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमानुसार अन्य शर्तें यथावत प्रभावशील होंगी ।

(एम.जी.चौबे)
प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग,भोपाल

पृ0क्र0–3324060/विविध/पार्ट–2 / 415 भोपाल, दिनांक– 1 / 3 /2014

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, जल ससांधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
2. निज सचिव, मान0 मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
3. मान0 राज्य मंत्री म0प्र0 शासन, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
4. मुख्य अभियंता.. जल संसाधन विभाग.............................. की ओर सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पृष्ठांकित (अभ्यार्थी के चरित्र सत्यापन एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न) कर निवेदन है कि इनके विस्तृत पद स्थापना आदेश 10 दिवस के अंदर आवश्यक रूप से किये जायें तथा अभ्यार्थी की कार्यग्रहण तिथि से इस कार्यालय को अवगत करायें। साथ ही मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के ज्ञाप कमांक–723/25/5/93 दिनांक–31.12.93 की कंडिका–1 के अनुसार जाति प्रमाण–पत्र का सत्यापन जिला संयोजक से कराये जाने की कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें ।
5. कलेक्टर जिला..
6. निज सहायक–प्रमुख अभियंता/मुख्य कार्मिक अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
7. वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
8. संबंधित श्री..आत्मज स्व.श्री.. ....की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
9. अधीक्षक–332/411
10. वेब मैनेजर, कार्यालय परियोजना संचालक, पाईकू, भोपाल की ओर वेबसाईट पर प्रविष्टि हेतु । की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

1.3.14

(एम.जी.चौबे)

प्रमुख अभियंता

जल संसाधन विभाग,भोपाल